भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-63
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

आईआईटी में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के मामले

†63. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश भर में आईआईटी में छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु आईआईटी के लिए अलग से आवंटित धनराशि में से कोई राशि रखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने आईआईटी में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करने तथा इसमें सुधार के उपाय सुझाने हेतु कोई समिति गठित की है अथवा सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): देश में दुर्घटनावश होने वाली मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में वार्षिक दुर्घटना मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्रों की आत्महत्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर सुलभ है।

आत्महत्या के मुद्दे का समाधान करने के लिए, सरकार बहु-आयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर

करती है जैसे राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन जो प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है; और लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' और वेबिनार 'परिचर्चा' जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी हितधारकों, छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति के संबंध में दिनांक 06.01.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सलाह जारी की। यूजीसी ने 13.04.2023 को एचईआई में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों की भावनात्मक और मानसिक भलाई के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी परिचालित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए खेल, योग, ध्यान आदि पर जोर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थान वर्ष भर चलने वाले योग कार्यक्रम कैलेंडर, योग पर समर्पित पाठ्यक्रम आदि शुरू करके परिसर में शैक्षणिक जीवन में योग के एकीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शुरू किया है ताकि संकाय को प्रारंभिक कार्यकलाप के लिए छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.03.2025 के आदेश के अनुसरण में, छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारणों की पहचान करने, मौजूदा विनियमों का विश्लेषण, सुरक्षा को मजबूत करने की सिफारिशें आदि के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. रवींद्र भट, पूर्व न्यायाधीश, एससीआई की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने स्वयंसेवी कार्यक्रमों, छात्र परामर्श/प्रशिक्षण सत्रों और शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए छात्र कल्याण केन्द्रों (एसडब्ल्यूसी) की स्थापना की है। पेशेवर ऑनलाइन परामर्श प्लेटफार्मों का उपयोग करने के अलावा, आईआईटी छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शदाताओं, मनोचिकित्सकों और मनोचिकित्सकों सहित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को भी नियुक्त करते हैं।

*****